क्रमांक 397-3 एस/69/6274

प्रेषक,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,
हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर, अम्बाला मण्डल, और
सभी उप आयुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी ।

दिनांक चण्डीगढ़, 4/7 अप्रैल, 1969

विषय :—जिला अधिकारियों के काम पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समय लागू अनुदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक तथा अन्य विभागों के जिला अधिकारियों के काम पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उप-आयुक्त इन अधिकारियों की निम्न-लिखित विशेषताओं पर विचार प्रकट करने में सक्षम है :—

(1) **पुलिस अधीक्षक या उप-पुलिस अधीक्षक**

(क) ईमानदारी के बारे में प्रतिष्ठता ।
(ख) जनता से सम्पर्क ।
(ग) समूचे तौर पर व्यक्तित्व, तथा विधि और व्यवस्था ठीक रखने में दक्षता ।

(2) **अन्य विभागों के जिला अधिकारी**

(क) ईमानदारी के बारे में प्रतिष्ठता ।
(ख) जनता से सम्पर्क ।
(ग) विकास योजनाओं तथा सरकार की नीति को पूरा करने का काम ।

2. सरकार ने अब निर्णय किया है कि भविष्य में उप-आयुक्त जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों (gazetted officers) के काम पर रिपोर्टों में विचार प्रकट करें; अर्थात पुलिस अधिकारियों की ऊपर उप पैरा (1) में दी हुई विशेषताओं पर और अन्य अधिकारियों की ऊपर उप-पैरा (2) में दी गई विशेषताओं पर रिपोर्ट लिखें । यह निर्णय आप के नोटिस में अनुपालन के लिए लाया जाता है ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति :—

(1) वित्त कमिश्नर, राजस्व, हरियाणा ।
(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
(3) मैम्बर, सेल्ज टैक्स ट्रिब्यूनल, हरियाणा ।

को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

हस्ताक्षर
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) वित्त कमिश्नर, राजस्व, हरियाणा ।
(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
(3) मैम्बर, सेल्ज टैक्स ट्रिब्यूनल, हरियाणा ।

अशा: क्रमांक 397-3 एस-69/दिनांक 4 अप्रैल, 1969 ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

(1) प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री ।
(2) सचिव/निजी सचिव, अन्य मंत्रिगण ।

हस्ताक्षर
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री ।
(2) सचिव/निजी सचिव, अन्य मन्त्रिगण ।

अशा: क्रमांक 397-3 एस-69 दिनांक 4 अप्रैल, 1969 ।